

पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग (PBBS Nursing) तथा  
मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग (M.Sc. Nursing) सिलेक्शन टेस्ट – 2025  
परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र

भरने की प्रारम्भ तिथि	: 23.05.2025	भरने की अंतिम तिथि	: 06.06.2025
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 23.05.2025	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 11.06.2025
परीक्षा दिनांक व दिन	01.07.2025 मंगलवार से प्रारम्भ		
<b>परीक्षा शुल्क</b>			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये			रु. 500/- प्रति प्रश्नपत्र
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन एवं ई.डब्ल्यू.एस.अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)			रु. 250/- प्रति प्रश्नपत्र
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
01.07.2025 मंगलवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 08:30 - 09:30 बजे तक	10:20 से 10:30 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 - 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई.आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा डिजिटल घड़ी, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

## म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग (PBBS Nursing) तथा  
मास्टर ऑफ़ साइंस नर्सिंग (M.Sc. Nursing) सिलेक्शन टेस्ट – 2025

### विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के विभागीय नियम	03-12
2.	2.	म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	13-30
3.	3.	परीक्षा का पाठ्यक्रम	31-47
4.	4.	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	48-57

(मध्य प्रदेश में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग तथा एम.एस सी. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु)

(For Admission in Post Basic B.Sc.(Nursing)/M.Sc. (Nursing)  
Courses In Madhya Pradesh)

पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) एवं एम.एस सी. नर्सिंग (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश संबंधी नियम

2025

**RULES FOR ADMISSION IN POST BASIC B.Sc. NURSING (2 YEAR) AND M.Sc. NURSING COURSE (2 YEAR )**

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND MEDICAL EDUCATION**

**लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मध्य प्रदेश**

## अध्याय - 1

1. परिभाषा - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "विभाग" से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।
- (ग) टेस्ट से तात्पर्य है Post Basic B.Sc. Nursing (पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग) एवं M.Sc. (Nursing) (मास्टर ऑफ साइन्स नर्सिंग) सिलेक्शन टेस्ट ।
- (घ) राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।
- (ङ.) एम.पी.ई.एस.बी से अभिप्रेत है म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल ।
- (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें कायूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग उसमें कायूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (ज) ओ.बी.सी. से अभिप्रेत है अन्य पिछडा वर्ग ।
- (झ) ई.डब्लू.एस. से अभिप्रेत है आर्थिक रूप से कमजोर ।

## 2. परीक्षा के नियम एवं शर्तें

ये नियम राज्य के शासकीय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में “ Post Basic B.Sc. Nursing एवं M.Sc. Nursing पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम” कहलायेंगे।

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं।

### 2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अन्य अर्हताएँ :-

(क) उम्मीदवार भारत का नागरिक हो ।

(ख) पोस्ट बेसिक बी.एस सी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल/ भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंको के साथ उत्तीर्ण हो। एम.एस सी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल/ भारतीय उपचर्या परिषद मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय से बी.एस सी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हों । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार (SC,ST एवं OBC) को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी ।

(ग) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमित /स्वशासी नर्सिंग कार्मिकों के लिये अर्हता:-

“अ” शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु :-

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु :

- नियमित शासकीय/स्वशासी सेवा में आने के उपरान्त परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी हो ।
- निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित एवं स्वशासी कार्मिक अपात्र होंगे ।

- iii. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु कार्मिक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का नियमित/ स्वशासी कार्मिक होकर वर्तमान में सेवारत हो एवं निरंतर सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो ।
- iv. सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- v. आवेदन करते समय कार्मिकों के अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश ही स्वीकृत किये जायेंगे, शेष अवधि अवैतनिक होगी।
- vi. एम.एस सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु पोस्ट बेसिक बी.एस सी. प्रशिक्षण उपरान्त तीन वर्ष की निरंतर शासकीय सेवा अवधि पूर्ण की गई हो ।
- vii. शासकीय/स्वशासी सेवा में आने के उपरान्त नर्सिंग से संबंधित समस्त शैक्षणिक अर्हताएँ विभागीय अनुमति के पश्चात् ही पूर्ण की गई हो ।

**“ब” निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु:-**

- i. निजी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी एवं एम.एस सी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से ही प्रवेश दिया जा सकेगा ।
- ii. निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित एवं स्वशासी कार्मिक अपात्र होंगे ।

**2.2 आयु सीमा:-**

- (क) प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिये उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसम्बर 2025 को 17 वर्ष होना चाहिए।
- (ख) अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे।

### 2.3 निरर्हताएं :-

- (क) परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।
- (ख) फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
- (ग) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- (घ) अन्य किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का परीक्षा में उपयोग किया गया हो, तो परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाएगा।

### 2.4 आरक्षण:-

- (क) मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
- (ख) शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु राज्य में तत्समय प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे।
- (ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रं 21 वर्ष 1994 के उपबंधों के अनुसार लागू होगा तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर आरक्षण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
- (घ) सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
- (ङ.) भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्ड अनुरूप दिव्यांगजन आरक्षण लागू होगा।

नोट :- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

## 2.5 मान्यता -

- (क) पोस्ट बेसिक बी.एस सी नर्सिंग में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं से जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो ।
- (ख) एम.एस सी नर्सिंग में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं से बी.एस सी नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी.एस सी नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो।
- (घ) प्रवेश परीक्षा में आवेदन के समय आवेदक मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में पंजीकृत हो, जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।

### 3. प्रवेश प्रक्रिया - उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:-

कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जायेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन विधि से नियत तिथि में जैसा कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे।

### ऑन लाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

- “अ” पोस्ट बेसिक बी.एस सी नर्सिंग हेतु ऑन लाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची :-
- 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु ।
  - 12 वीं की 10+2 प्रणाली की अंकसूची
  - जी.एन.एम की अंकसूची ।
  - मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल का जीवित पंजीयन ।
  - परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश (नियमित एवं स्वशासी अथ्यर्थियों के लिये) ।



### आरक्षित उम्मीदवार हेतु:-

- i. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
- ii. मध्य प्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- iii. मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र।
- iv. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।

“ब” एम.एस सी. नर्सिंग हेतु ऑन लाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची :-

- i. 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु ।
- ii. 12 वीं की 10+2 प्रणाली में अंकसूची
- iii. पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग / बी.एस सी. नर्सिंग की अंकसूची ।
- iv. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल का जीवित पंजीयन ।
- v. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश (नियमित एवं स्वशासी अथ्यर्थियों के लिये) ।

### आरक्षित उम्मीदवार हेतु:-

- i. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
- ii. मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र।
- iii. मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- iv. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।

**(क) आवेदन शुल्क:-**

- i. आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
- ii. शुल्क में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्यपिछडा वर्ग, और ई.डब्लू.एस के उम्मीदवारों के लिये लागू है, जो मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों पर ही लागू होगी जिन्हे मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग घोषित किया गया है, एवं जो ई.डब्लू.एस श्रेणी के लिये अर्ह है ।
- iii. ऐसे उम्मीदवार जो अन्य पिछडा वर्ग के है और क्रीमीलेयर में आते है, आरक्षण के लाभ, या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

**(ख)** मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित जी.एन.एम पाठ्यक्रम तथा एम.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित बी.एस सी नर्सिंग पाठ्यक्रम किया जायेगा जिसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जावेगी ।

**(ग)** परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। कर्मचारी चयन मंडल इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं एम.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा ।

**(घ) न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ़ मार्क्स) :-**

कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंको में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित / ई डब्लू एस वर्ग के

उम्मीदवारों के लिए 50 परसेन्टाईल सामान्य वर्ग दिव्यांगजन के लिये 45 परसेन्टाईल तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 परसेन्टाईल न्यूनतम अर्हताकारी अंक होंगे।

न्यूनतम अर्हताकारी अंक में परिवर्तन के निर्णय का अधिकार आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. को होगा।

**(ड.) सह-वरिष्ठता :-**

- i. चयन परीक्षा में प्राप्त परसेन्टाईल के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान परसेन्टाईल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह-वरिष्ठता पहले अनुपातिक अंक फिर आयु (जन्म तिथि) के आधार पर निर्धारित की जावेगी। आयु (जन्म तिथि) समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांको को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा- प्रथम- फन्डामेंटलस ऑफ नर्सिंग, द्वितीय- मेडिकल सर्जिकल, तृतीय- मिडवाइफरी एवं चतुर्थ-कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग । यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाये।

- (च) पोस्ट बेसिक बी.एस सी.नर्सिंग एवं एम.एस सी. नर्सिंग सिलेक्शन टेस्टमें काउन्सिलिंग एवं प्रवेश विस्तृत प्रक्रिया पृथक से मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल / चयनित एजेन्सी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी । नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय संस्था द्वारा उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज/ प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा । शैक्षणिक तथा अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त पात्र उम्मीदवारों की ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी।

- i. नर्सिंग महाविद्यालय में नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में पोस्ट बेसिक बी.एस सी.नर्सिंग एवं एम.एस सी. नर्सिंग 2025 के परीक्षा परिणाम में चयनित उम्मीदवारों की सूची में से ही प्रवेश दिया जा सकेगा ।
- ii. प्रायवेट अर्थियों को एम.एस सी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बी.एस सी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत होना आवश्यक है।
- iii. प्रायवेट अर्थियों को पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जी.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष की अवधि व्यतीत होना आवश्यक है ।

#### 4. अनुबंध पत्र:-

विभागीय पोस्ट बेसिक बी.एस सी. नर्सिंग /एम.एस सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कर उत्तीर्ण होने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन न्यूनतम 05 वर्ष तक कार्य की सहमति के लिये राशि रूपये 05.00 लाख का अनुबंध पत्र अध्ययन के लिये प्रस्थान करने के पूर्व निष्पादित कर संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे ।

#### संचालक

नर्सिंग एवं सह चिकित्सा

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

## अध्याय-2

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

### खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउंसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

### 2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, sun glasses Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-  
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित MPESB कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि MPESB स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिह्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए |

उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

## 2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र MPESB की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

## 2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

## 2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

- वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की अंकित संख्या Raw Score के रूप में प्रदर्शित करने का प्रावधान है। परीक्षा की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसमें Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अंकित Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) एवं प्रदर्शित Raw Score के सामान होने पर सबमिट किया जा सकेगा।

## 2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

- A. निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
- प्रश्न की संरचना गलत हो।
  - उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
  - कोई भी विकल्प सही न हो।
  - कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
  - अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- B. हिन्दी तथा अंग्रेज़ी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा | सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्नपत्र, जहाँ पर अंग्रेज़ी पाठ को मानक माना जाएगा) |
- C. प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

**उदाहरण 01** :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

**उदाहरण 02** :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

**उदाहरण 03** :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

**नोट** :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)



## 2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्र. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

- (a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{\text{No. of candidates in shift (j) having proportionate scores} \leq X_{ij}}{N_j} \times 100$$

- shifts be denoted as  $S_1, S_2, \dots, S_k$ .
- number of candidates appearing in each shift be denoted by  $N_1, N_2, \dots, N_k$
- $X_{ij}$  be the actual/proportionate marks of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to  $N_j$  and j can vary from 1 to K.
- $P_{ij}$  be the percentile score of candidate  $X_{ij}$ , where, i can vary from 1 to  $N_j$  and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

- (b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 **Step 1:** Compute the percentile score  $P_{ij}$  of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 **Step 2:** Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij} = \text{ROUND}(\text{NORMSINV}(\frac{P_{ij}}{100} - 0.005), 6)$$

where,

- $Z_{ij}$  = Z-value score of ith candidate & jth shift

**A.4 Step 3:** Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where,  $T_{ij}$  = T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

**A.5 Step 4:** Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ( $T_{ij}$ )

with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) will be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

## 2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी | अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी | एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी | प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा | मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा |
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार MPESB द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी |
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

## 2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means)/यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मंडल द्वारा किये गए डेटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती हैए तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा द्य
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा सम्बन्धी Data का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को UFM श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के

अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESB को अवगत कराया जायेगा।

MPESB द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

### 2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर MPESB द्वारा अभ्यर्थियों की एकजाई श्रेणीवार प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी MPESB की वेबसाईट पर अपलोड की जाएँगी।

### 2.13 परीक्षा परिणाम :-

- (i) अभ्यर्थियों का परिणाम MPESB की वेबसाईट [www.esb.mp.gov.in](http://www.esb.mp.gov.in) पर अपलोड किया जायेगा। परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंकों को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

### 2.14 म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार MPESB का होगा।
- (ii) MPESB अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं MPESB द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख MPESB द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

**2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-** परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

## खण्ड-ब

### 2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (vi) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

" मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।"

### 2.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे |
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

## 2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

## 2.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक / आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
  1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
  2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में MPESB द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

## 2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड)



या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

## 2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) आवेदक स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा वेबसाइट [www.esb.mponline.gov.in](http://www.esb.mponline.gov.in) के माध्यम से

- (i) परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

## 2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

## 2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारीयों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

**2.24** आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

## 2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- (ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है, वे संशोधन अवधि में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे।

## 2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण MPESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।

- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में MPESB द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

**2.27** ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

**2.28** परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

### **2.29 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन**

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

**2.30** अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESB की E-mail ID [complain.esb@mp.gov.in](mailto:complain.esb@mp.gov.in) पर भेज सकते हैं।

## खण्ड-स

### 2.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
23.05.2025	06.06.2025	15	23.05.2025	11.06.2025	20

### 2.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	01.07.2025	मंगलवार	प्रथम	प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक	02 घंटे	100
2.			द्वितीय	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक	02 घंटे	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

### 2.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	500/- प्रति प्रश्नपत्र	250/- प्रति प्रश्नपत्र	250/- प्रति प्रश्नपत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

### (ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

### 2.34 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में MPESB का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरो/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. सीधी
5. रतलाम	6. रीवा	7. सागर	8. सतना
9. उज्जैन	10. खंडवा	11. नीमच	

## खण्ड-द

### ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

#### 2.35

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (vii) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पह चान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई.आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

अध्याय - 3

पाठ्यक्रम

पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग (PBBS Nursing) तथा  
मास्टर ऑफ़ साइंस नर्सिंग (M.Sc. Nursing) सिलेक्शन टेस्ट – 2025  
(X)

पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग (PBBS Nursing) सिलेक्शन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम प्रश्नों की संख्या - 100

GNM Curriculum				
S.No.	Section	Year	Subjects	Content
1	A	I	Anatomy and Physiology	Introduction to anatomical terms and organization of the human body, Introduction to the detailed structure of the body, Blood composition and functions, The Circulatory System, The Lymphatic System, The Respiratory System, The Digestive System, The Excretory System, The Endocrine System, The Reproductive System, The Nervous System, The Sense Organs, The Skeleton, The Muscular System
2		I	Microbiology	Introduction to Microbiology, Micro Organisms, Infection and its transmission, Immunity, Control and destruction of Microbes, Practical Microbiology
3		I	Psychology	Introduction to Psychology, Structure of the Mind, Psychology of Human Behavior, Learning, Thinking and Reasoning, Observation and Perception, Personality, Intelligence
4		I	Sociology	Introduction, The Individual, The Family, Society, The Community
5		I	Fundamentals of Nursing	Course Description, General Objectives, Introduction to Nursing, Nursing care of the patient, Meeting the Basic Needs of a patient, Assessment of patient/client, Infection control, Therapeutic Nursing Care, Introduction to clinical Pharmacology
6		I	First Aid	Course Description, General Objectives, Introduction, Procedures and Techniques in First Aid, First Aid in emergencies, Community Emergencies & Community Resources

## GNM Curriculum

S.No.	Section	Year	Subjects	Content
7	<b>A</b>	I	Community Health Nursing - I	Course Description, General Objectives, Introduction to Community Health, Community Health Nursing, Health Assessment, Principles of Epidemiology and Epidemiological methods, Family Health Nursing Care, Family Health Care Settings Home Visit, Referral System, Records and reports, Minor Ailments
8		I	Environmental Hygiene	Course Description, General Objectives, Introduction, Environmental Factors Contributing to Health, Community organizations to promote environmental health
9		I	Health Education and Communication skills	Course Description, General Objectives, Communication Skills, Health Education, Counseling, Methods and Media of Health Education
10		I	Nutrition	Course Description, General Objectives, Introduction, Classification of Food, Normal Dietary Requirements, Food Preparation, Preservation & Storage, Therapeutic Diet, Community Nutrition, Preparation of Diet/Practical
11		I	English	Grammar, Composition, Spoken English
12		I	Computer Education	Introduction to Computers and Disk Operating Systems, MS Office, Multimedia, Internet and E-mail
13		I	Co-curricular activities	
14	<b>B</b>	II	Medical Surgical Nursing-I	Introduction, Nursing Assessment, Pathophysiological Mechanism of Disease, Altered Immune Response, Fluid and Electrolyte Balance and Imbalance, Operation Theatre Technique, Management of Patient Undergoing Surgery, Nursing Management of Patient with Impaired Respiratory Function, Gastrointestinal Disorders, Metabolic and Endocrinal Disorders, Urinary and Renal Disorders, Neurological Disorders, Connective Tissue and Collagen Disorders, Wellness for the Elderly



## GNM Curriculum

S.No.	Section	Year	Subjects	Content
15	<b>B</b>	II	Medical Surgical Nursing -II	Introduction, History of Psychiatry, Mental Health Assessment, Therapeutic nurse-patient relationship, Mental Disorders and Nursing Interventions, Bio – Psycho & Social Therapies, Community Mental Health, Psychiatric Emergencies and Crisis Intervention, Forensic Psychiatry / Legal Aspects.
16		II	Mental Health Nursing	Concept of Mental Health and Mental Illness, Historical Development of Psychiatry and Psychiatric Nursing, Mental Health Assessment, Therapeutic Relationship, Mental Disorders and Nursing Interventions, Bio-Psycho-Social Therapies, Preventive Community Mental Health Services, Psychiatric Emergencies and Crisis Intervention, Legal Aspects in the Care of Mentally Ill Patients
17		II	Child Health Nursing	Concept of Child Health Care, Trends in Pediatric Nursing, Role of Pediatric Nurses, Emerging Challenges in Pediatric Nursing, Preventive Pediatric Care, Vital Statistics Related to Pediatrics, Normal Growth & Development of Children, Role of Nurse in Caring for a Sick Child, Management of Behavioral Disorders and Common Health Problems, Comprehensive Nursing Care for Children with Congenital Defects, Comprehensive Nursing Care for Children with Various Disorders & Diseases
18		II	Co-curricular activities	

## GNM Curriculum

S.No.	Section	Year	Subjects	Content
19	<b>C</b>	III (Part 1)	Midwifery & Gynaecological Nursing	Introduction to Midwifery, Anatomy and Physiology of Female Reproductive System, Embryology and Fetal Development, Management of Normal Pregnancy, Management of Normal Labour, Management of Newborn, Management of Normal Puerperium, Complications of Pregnancy, Management of High Risk Labour, Puerperal Complications, Management of High Risk and Sick Newborn, Obstetric Operations, Administration of Drugs in Obstetrics, Ethical and Legal Issues in Midwifery, Gynecological Disorders
20		III (Part 1)	Community Health Nursing-II	Health Care Delivery System, Health Planning in India, Specialized Community Health Services and Nurse's Role, Major Health Problems in India, National Health and Family Welfare Programs in India, Demography and Family Welfare, Health Team and Nursing Personnel Roles, Health Information System, Health Agencies
21		III (Part 1)	Co-curricular	
22		III (Part 2) Theory	Nursing Education	Teaching learning process, Methods of teaching
23		III (Part 2) Theory	Introduction to Research and statistics	Importance of Research in Nursing, Research Process, Research Approaches and Designs, Data Collection Methods, Data Analysis, Introduction to Statistics, Utilization of Research in Nursing Practice
24		III (Part 2) Theory	Professional Trends & Adjustments.	Nursing as a Profession, Professional Ethics, Personal and Professional Development, Legislation in Nursing, Profession and Related Organizations
25		III (Part 2) Theory	Nursing Administration & Ward Management	Introduction to Administration, Management Process, Administration of Different Health Care Units, Management of Equipment and Supplies, Cost and Financing of Health Services in India
26		III (Part 2) Clinical	Medical Surgical Nursing	
27		III (Part 2) Clinical	Community Health Nursing	

## GNM Curriculum

S.No.	Section	Year	Subjects	Content
28	<b>C</b>	III (Part 2) Clinical	Child Health Nursing	
29		III (Part 2) Clinical	Midwifery and Gynaecological Nursing	
30		III (Part 2) Clinical	Mental Health Nursing	

(Y)

मास्टर ऑफ़ साइंस नर्सिंग (M.Sc. Nursing) सिलेक्शन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्नों की संख्या - 100

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
1			I	Communicative English	<p>Communication.</p> <p>Introduction to LSRGW(Listening, Speaking, Reading, Grammer, Writing simple)</p> <p>Attentive Listening.</p> <p>Speaking-Effective .</p> <p>Conversation.</p> <p>Reading.</p> <p>Writing Skills.</p> <p>LSRW Skills.</p>
2	A	1	I	Applied Anatomy & Applied Physiology	<p><b>Applied Anatomy</b></p> <p>Introduction to anatomical terms and organization of the human body.</p> <p>The Respiratory system.</p> <p>The Digestive system.</p> <p>The Circulatory and lymphatic system.</p> <p>The Endocrine system.</p> <p>The Sensory organs.</p> <p>The Musculoskeletal system.</p> <p>The Muscular System.</p> <p>The skeletal system.</p> <p>The Renal System.</p> <p>The Reproductive System.</p> <p>The Nervous system.</p> <p><b>Applied Physiology</b></p> <p>General Physiology-Basic concept.</p> <p>Respiratory system.</p> <p>Digestive system.</p> <p>Circulatory and lymphatic system.</p> <p>Blood.</p> <p>The endocrine system.</p> <p>The sensory Organs.</p> <p>Musculo-skeletal system.</p> <p>Renal system.</p> <p>The Reproductive System.</p> <p>Nervous system</p>

<b>B.Sc. Curriculum</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Sec.</b>	<b>Year</b>	<b>Semester</b>	<b>Courses</b>	<b>Content</b>
<b>3</b>	<b>A</b>		<b>2</b>	Applied Sociology & Applied Psychology	<p><b>Applied Sociology</b>            Introduction .            Social structure.            Culture.            Family and Marriage.            Social stratification.social organization and disorganization.            Clinical sociology.</p> <p><b>Applied Psychology</b>            Introduction            Biological basis of behaviour            Mental health and mental hygiene            Developmental psychology            Personality            Cognitive process            Motivation and emotional processes            Psychological assessment and tests            Application of soft skill            Self-empowerment</p>

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
4	A		2	Applied Biochemistry and Applied Nutrition & Dietetics	<p><b>Applied Biochemistry</b>            Carbohydrates            Lipids            Proteins            Clinical Enzymology            Acid base maintenance            Heme catabolism            Organ function tests            Immunochemistry</p> <p><b>Applied Nutrition &amp; Dieteries</b>            Introduction to Nutrition            Carbohydrates            Energy            Proteins            Fats            Vitamins            Minerals            Balanced diet            Nutritional deficiency disorders            Therapeutic diets            Cookery rules and preservation of nutrients            Nutrition assessment and nutrition education            National Nutritional Programmes and role of nurse</p>

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
5	B		3	Nursing Foundation I & II	<p><b>Nursing Foundation 1:</b>  Introduction to Health and Illness  Health Care Delivery Systems  History and Scope of Nursing  Communication and Nurse-Patient Relationship  Documentation and Reporting  Vital Signs  Health Assessment  Equipment and Linen Management  Infection Control and Waste Management  Comfort, Rest &amp; Sleep, and Pain Management  Safety in Health Care Environment  Admission, Transfer, and Discharge of Patients  Mobility and Immobility  Patient Education</p> <p><b>Nursing Foundation 2:</b>  Nursing Concepts and Skills  Nursing Procedures  Basic Nursing Care  Health Promotion and Disease Prevention  Emergency Care  Medical-Surgical Nursing  Pharmacology  Mental Health Nursing</p>
6			3	Health/Nursing Informatics & Technology	<p>Introduction to Computer Applications for Patient Care Delivery System and Nursing Practice  Principles of Health Informatics  Information Systems in Healthcare  Shared Care &amp; Electronic Health Records  Patient Safety &amp; Clinical Risk  Clinical Knowledge &amp; Decision Making  eHealth: Patients and the Internet  Using Information in Healthcare Management  Information Law &amp; Governance in Clinical Practice  Healthcare Quality &amp; Evidence-Based Practice</p>

<b>B.Sc. Curriculum</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Sec.</b>	<b>Year</b>	<b>Semester</b>	<b>Courses</b>	<b>Content</b>
7	<b>B</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	Applied Microbiology and Infection Control including Safety	Introduction General Characteristics of Microbes Pathogenic Organisms Immunity Hospital Acquired Infections (HAI) Isolation Precautions and Use of Personal Protective Equipment (PPE) Hand Hygiene Disinfection and Sterilization Specimen Collection (Review) Biomedical Waste Management & Laundry Management Antibiotic Stewardship Patient Safety Indicators Incidents and Adverse Events International Patient Safety Goals (IPSG) Safety Protocols Employee Safety Indicators Healthcare Worker Immunization Program and Management of Occupational Exposure
8			<b>4</b>	Adult Health Nursing I with Integrated Pathophysiology including BCLS module	Introduction Intraoperative Care Nursing Management of Patients with Respiratory Problems Nursing Management of Patients with Gastrointestinal Disorders Nursing Management of Patients with Cardiovascular Problems Nursing Management of Patients with Hematological Disorders Nursing Management of Patients with Endocrine Disorders Nursing Management of Patients with Integumentary Disorders Nursing Management of Patients with Musculoskeletal Disorders Nursing Management of Patients with Communicable Diseases



B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
9	B		4	Pharmacology (I&II) & Pathology (I&II) (including Genetics)	<b>Pharmacology I</b> Introduction to Pharmacology Pharmacology of Antiseptics and Disinfectants Pharmacology of Gastrointestinal Drugs Pharmacology of Respiratory Drugs Pharmacology of Cardiovascular Drugs Pharmacology of Endocrine Drugs Pharmacology of Dermatological Drugs Pharmacology of Antimicrobials and Chemotherapy <b>Pharmacology II</b> Drugs for Ear, Nose, Throat, and Eye Disorders Drugs Acting on the Urinary System Drugs Acting on the Nervous System Drugs for Hormonal Disorders, Contraception, and Medical Termination of Pregnancy Drugs for Pregnant Women Drugs for Deaddiction, Emergency, Poisoning, Vitamins, and Minerals
10			5	Adult Health Nursing II with Integrated Pathophysiology including Geriatric Nursing & Palliative Care	Nursing Management of Ear, Nose, and Throat Disorders Nursing Management of Eye Disorders Nursing Management of Kidney and Urinary System Disorders Nursing Management of Male Reproductive Disorders Nursing Management of Burns and Cosmetic Surgeries Nursing Management of Neurological Disorders Nursing Management of Immunological Disorders Nursing Management of Oncological Conditions Nursing Management of Emergency and Disaster Situations Nursing Care of the Elderly Nursing Management of Critical Care Units Nursing Management of Occupational and Industrial Health Disorders
11			5	Professionalism, Professional Values and Ethics including	

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
				Bioethics Ex. Human Values	
12	C	3	6	Community Health Nursing I including Environmental Science & Epidemiology	Community Health Nursing Approaches, Concepts, Roles, and Responsibilities Assisting Individuals and Families to Promote and Maintain Their Health Introduction to Epidemiology Communicable Diseases and National Health Programs Non-Communicable Diseases and National Health Programs Management of Common Conditions and Emergencies Including First Aid Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent Health School Health Services Demography, Surveillance, and Interpretation of Data Population and Its Control <b>Environmental Science</b> Environmental Science, Environmental Health, and Sanitation. Environmental Health & Sanitation. Nutrition Assessment and Nutrition Education. Communication Management and Health Education.
13			6	Educational Technology/ Nursing Education	Introduction and Theoretical Foundations Assessment and Planning Implementation Teaching in the Clinical Setting Educational/Teaching Media Assessment/Evaluation Methods/Strategies Guidance/Academic Advising, Counseling, and Discipline Ethics and Evidence-Based Teaching (EBT) in Nursing Education Emerging Trends in Healthcare and Nursing Education
14			6	Introduction to Forensic Nursing	

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
15	C		6	Child Health Nursing (I&II)	<p><b>Child Health Nursing I</b>            Introduction to Modern Concepts of Child-Care            The Healthy Child            Nursing Care of Neonate            Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses (IMNCI)            Nursing Management in Common Childhood Diseases            Child Health Emergencies and CPR</p> <p><b>Child Health Nursing II</b>            Orthopedic Disorders, Eye, Ear, and Skin Disorders            Communicable Diseases in Children            Management of Behavioral and Social Problems in Children            Management of Challenged Children            Counseling and Education for Parents            Pediatric Medical Ward            Pediatric Surgical Ward            Neonatal Intensive Care Unit (NICU) &amp; Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</p>
16			D	7	Mental Health Nursing (I&II)

<b>B.Sc. Curriculum</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Sec.</b>	<b>Year</b>	<b>Semester</b>	<b>Courses</b>	<b>Content</b>
					<b>Mental Health II</b> Nursing Management of Organic Brain Disorders Psychiatric Emergencies and Crisis Intervention Legal Issues in Mental Health Nursing Community Mental Health Nursing
17	<b>D</b>		<b>7</b>	Nursing Management & Leadership	Health Care and Development of Nursing Services in India Management Basics Applied to Nursing Planning Nursing Services Organizing Staffing (Human Resource Management) Directing and Leading Leadership Controlling Organizational Behavior and Human Relations Financial Management Nursing Informatics/Information Management Personal Management Establishment of Nursing Educational Institutions Planning and Organizing Functions of a Nursing College Staffing and Student Selection Leadership and Management Activities in an Educational Organization Legal and Ethical Issues Professional Advancement

<b>B.Sc. Curriculum</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Sec.</b>	<b>Year</b>	<b>Semester</b>	<b>Courses</b>	<b>Content</b>
18				Ex. Menopausal Health	
19		4	7	Community Health Nursing II	Occupational Health Geriatric Health Care Mental Health Disorders Health Management Information System (HMIS) Delivery of Community Health Services Leadership, Supervision, and Monitoring Disaster Management Bio-Medical Waste Management Health Agencies
20			8	Nursing Research & Statistics	Introduction and need for nursing research Definition of Research & nursing research Steps of scientific method Characteristics of good research State the purposes and steps of Evidence Based Practice Steps of Research process-overview Evidence Based Practice: Concept, Meaning, Purposes, Steps of EBP Process and Barriers

B.Sc. Curriculum					
S.No.	Sec.	Year	Semester	Courses	Content
21	D		8	Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG) Nursing I & II	<p><b>Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG)</b></p> <p><b>Nursing I</b></p> <p>History of midwifery in India            Current scenario: Midwifery in India - Transformative education for relationship-based and transformative midwifery practice in India, National health programs related to RMNCH            Current trends in midwifery and gynecology nursing:            Respectful maternity and newborn care (RMNC)            Midwife led care units (MLCU)            Birthing centers, water birth, lotus birth            Essential competencies for basic midwifery practice (ICM)            Universal rights of child-bearing women            Sexual and reproductive health and rights            Legal provisions in midwifery practice in India: INC/MOH&amp;FW regulations            Ethical issues in maternal and neonatal care            Adoption laws, MTP act, Pre-Natal Diagnostic Test (PNDT) Act, Surrogate mothers            Roles and responsibilities of a midwife in different settings (hospital/community)</p> <p><b>Midwifery/Obstetrics and Gynaecology (OBG)</b></p> <p><b>Nursing II</b></p> <p>Recognition and Management of Problems During Pregnancy            Recognition of Deviations from the Normal and Management During Labour            Recognition and Management of Postnatal Problems            Assessment and Management of High-Risk Newborns            Assessment and Management of Gynecological Disorders            Family Planning and Family Welfare Programs</p>
22			8	<p><b>Competency Assessment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Community Health Nursing</li> <li>• Adult Health</li> </ul>	

<b>B.Sc. Curriculum</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Sec.</b>	<b>Year</b>	<b>Semester</b>	<b>Courses</b>	<b>Content</b>
				Nursing • Child Health Nursing • Mental Health Nursing • Midwifery/OBG Nursing	
23	<b>D</b>		<b>8</b>	Ex. Scientific Writing Skills	

## अध्याय-4

### प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र  
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम ..... पिता का नाम .....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम.....

धर्म .....

व्यवसाय .....

पता .....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला.....के लिए घोषित  
..... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ..... जिला ..... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र  
करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे  
ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।



## प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम..... निवासी ग्राम/नगर .....वि. खं.....तहसील.....जिला.....सं भाग.....जाति /जनजाति..... का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संघोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .....हैं.

हस्ताक्षर  
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

दिनांक .....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .....आत्मज श्री.....  
निवासी ग्राम.....जिला/संभाग .....मध्यप्रदेश के निवासी है जो  
.....जाति .....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति  
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया  
गया है.

श्री..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला  
..... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग)  
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक  
360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन  
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ति आंकलन  
भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

**प्रपत्र - 4 :**  
**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में**  
**व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)..... श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से..... (स्थान) तहसील जिला..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक .....

(कार्यालय सील)

## प्रपत्र - 5

### अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी.....आत्मजा पत्नी  
श्री.....ने नियमित छात्रा के रूप में इस  
संख्या.....(संस्था का नाम) में सत्र ..... से  
सत्र तक ..... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद.....

स्थान .....

(कार्यालय सील)

दिनांक .....

**प्रपत्र - 6**  
**वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी .....  
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती..... जो  
तहसील.....जिला..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान.....

दिनांक.....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी..... श्री/श्रीमती.....का  
/की/पुत्री है।

(क) जो..... विभाग में.... पर..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के  
कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ  
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ..... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ  
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए ..... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो ..... विभाग में .....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश  
के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

.....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी.....

श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010

को अथवा उसके पूर्व कि तिथि ..... में मध्यप्रदेश में स्थित

..... विभाग में ..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक

उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद .....

स्थान .....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी.....

श्री/श्रीमती.....का/की/पुत्री

है..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद.....

स्थान .....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक .....



(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन एफ 07-11 /2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का  
संलग्नक)

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम .....आर्थिक रूप से  
कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र  
प्रमाण-पत्र संख्या .....  
वित्तीय वर्ष .....के लिए मान्य  
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पति/पुत्री .....ग्राम/कस्बा .....पोस्ट ऑफिस  
.....थाना .....तहसील .....  
जिला .....राज्य ..... पिन कोड .....

के स्थाई निवासी है, जिनका फोटोग्राफ निचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है क्योंकि  
वित्तीय वर्ष .....में इनके परिवार कि कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है। इनके  
परिवार के स्वामित में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है-

1. जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी)।
2. जिनके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
3. जिनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
4. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

श्री/श्रीमती/कुमारी .....जाति .....के सदस्य है जो अनुसूचित  
जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट  
साइज़ का  
अभिप्रमाणित  
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार